| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>सुभाष जैन बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार बालेसर )<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 137/2019 | नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14.08.19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुभाष जैन, पता 3 क–124, शिवजी पार्क, अलवर–301001 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.05.19 में उसके द्वारा (1) श्री भंवरसिंह गौड़, नायब तहसीलदार वर्तमान में पदस्थापन संभवतया आपके क्षेत्र में है, की नियुक्ति के समय अंक तालिका एवं नियुक्ति के समय प्रेषित अन्य दस्तावेजों की व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बालेसर को स्थानान्तरित कर दिया गया। तहसीलदार बालेसर द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार बालेसर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( तहसीलदार बालेसर) से जरिये पत्रांक 563 दिनांक 07.08.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना तत्समय इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी तथा अधिनियम के अनुसार सूचना तैयार कर या संग्रहित कर दिये जाने का प्रावधान नहीं है। उक्त तथ्यों से इस कार्यालय के पत्रांक स्थापना/2019/340 दिनांक 21.05.19 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। रिपोर्ट में आगे बतलाया कि श्री भंवरसिंह नायब तहसीलदार सेखाला की सेवा पुस्तिका एवं नीजि पत्रावली भू–प्रबन्धक अधिकारी, भरतपुर से इस कार्यालय में दिनांक 11.07.19 को प्राप्त हुई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नीजि जानकारी है तथा आवेदक तृतीय पक्षकार होने से अधिनियम की धारा 8 के तहत नीजि जानकारी नहीं दिये जाने का प्रावधान है अतः धारा 11 के प्रावधानों के तहत श्री भंवरसिंह गौड़ से स्पष्ट सहमति/असहमति चाही गई। श्री भंवरसिंह गौड़ द्वारा लिखित में सूचना देने की असहमति प्रकट की गई है अतः सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।<br>चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना दिया जाना संभव नहीं है, परन्तु प्रार्थी को इस बारे में सूचित नहीं किया गया, जो कि आवश्यक है अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को भी सूचित किया जावे। प्रार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |